संख्या-51/2019/1321/12-5-2019-सा०-73/2017

प्रेषक,

मंजू लता सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 27 नवम्बर, 2019**

विषय:- प्रदेश के अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 800-अन्य व्यय, 04-स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण योजना की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू०सं०/अभि०/301/2019-20, दिनांक 08.11.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 800-अन्य व्यय, 04-स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में प्राविधानित राज्यांश की धनराशि रू० 2366.00 लाख के सापेक्ष रू० 1346.24 लाख (रू० तेरह करोड़ छियालिस लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश, बजट मैनुअल और फाइनेनिशयल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी है उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- उक्त योजना के क्रियान्वयन में मिड-टर्म मूल्यांकन रिपोर्ट पर राज्य नियोजन संस्थान की संस्तुतियों का अनुपालन किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों/गाईडलाइन/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा उक्त धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का उत्तरदायित्व आपका होगा।

5- उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में धनराशि का व्यावर्तन किया जायेगा।

6- योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में लाभार्थियों का विवरण/सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाए।

7- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाए बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए। प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

8- वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी इसका उत्तरदायित्व आपका होगा।

9- कृषि निदेशक उ0प्र0 जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। योजना का इम्पैक्ट एसेसमेन्ट कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- उक्त धनराशि का व्यय प्रदेश के अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 800-अन्य व्यय, 04-स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण योजना के मानक मद 27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय
मंजू लता सिंह
उप सचिव।

<u>संख्या-51/2019/1321(1)/12-5-2019, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग/समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
8. अपर कृषि निदेशक, (सामान्य/भूमि संरक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
9. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।